



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404

संख्या: 268 / 01 / डी0आर0(डिप्री) / सेवा-2 / 2021-22

दिनांक : 01 दिसम्बर, 2023

अधिमानी अर्हता विषयक सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के विज्ञापन दिनांक 04 दिसम्बर, 2021 एवं विज्ञापित दिनांक 19 जनवरी, 2022 द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों में अंकित ए0पी0आई0 स्कोर के आधार पर घोषित शार्टलिस्टिंग परिणाम दिनांक 13 अप्रैल, 2022 में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 04 मई, 2022 तक अभिलेख प्राप्त किये गये थे, जिसके क्रम में **असिस्टेंट प्रोफेसर, गृह विज्ञान विषय** के निम्न अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिमानी अर्हता के संबंध में किये गये दावे के सापेक्ष संबंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने के कारण तालिका कॉलम-03 के अनुसार मा0 आयोग द्वारा अधिमानी अर्हता के दावे को मान्य नहीं किया गया है:-

SN O	ROLLNO	कार्यालय टिप्पणी
1	2	3
1.	512667	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद विवाद/सेमिनार/पाठ्येत्तर कार्यकलाप का दावा किया गया है जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
2.	512692	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के राजकीय महाविद्यालय में संविदा प्रवक्ता/विजिटिंग लेक्चरर/अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में कार्यरत होने का दावा किया गया है, जिसके लिए कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त के क्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
3.	512716	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद, सेमिनार इत्यादि का दावा किया गया है जिसके लिए कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
4.	512723	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद, सेमिनार इत्यादि का दावा किया गया है जिसके लिए कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
5.	512730	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद, सेमिनार इत्यादि का दावा किया गया है जिसके लिए कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
6.	512789	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद, सेमिनार इत्यादि का दावा किया गया है जिसके लिए कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
7.	512828	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद, सेमिनार इत्यादि का दावा किया गया है जिसके लिए कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
8.	512882	अभ्यर्थी अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद, सेमिनार इत्यादि का दावा किया गया है जिसके लिए कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।

SN O	ROLLNO	कार्यालय टिप्पणी
1	2	3
9.	512896	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत विजिटिंग लैक्चरर /संविदा प्रवक्ता/ अंशकालिक प्रवक्ता का भी दावा किया गया है, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, उपरोक्त के क्रम अधिमान का दावा मान्य नहीं है।
10.	512996	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद, सेमिनार इत्यादि का दावा किया गया है जिसके लिए कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
11.	513008	अभ्यर्थी द्वारा विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता/अंशकालिक प्रवक्ता का दावा किया गया है जिसके क्रम में विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता/अंशकालिक प्रवक्ता के लिए विज्ञापन के अनुसार परिशिष्ट-5 से संबंधित कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में विजिटिंग लैक्चरर/संविदा प्रवक्ता/अंशकालिक प्रवक्ता का दावा मान्य नहीं है।
12.	513019	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत एन0सी0सी0 'बी' एवं वाद-विवाद, सेमिनार इत्यादि का दावा किया गया है, परन्तु उपरोक्त दावे के सापेक्ष कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
13.	513036	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद, सेमिनार इत्यादि का दावा किया गया है जिसके लिए कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
14.	513079	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद, सेमिनार इत्यादि का दावा किया गया है जिसके लिए कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।
15.	513210	अभ्यर्थी द्वारा अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत NCC 'B' एवं वाद-विवाद, संगोष्ठी, खेलकूद और अन्य पाठ्योत्तर कार्यकलापों में करने का दावा किया गया है, जिसके लिए NCC 'B' का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त के क्रम में अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत NCC 'B' का दावा मान्य है। परन्तु वाद-विवाद, संगोष्ठी, खेलकूद और अन्य पाठ्योत्तर कार्यकलापों प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, तदक्रम में वाद-विवाद, संगोष्ठी, खेलकूद और अन्य पाठ्योत्तर कार्यकलापों का दावा मान्य नहीं है।
16.	513298	अधिमानी अर्हता के अन्तर्गत वाद-विवाद, सेमिनार इत्यादि का दावा किया गया है जिसके लिए कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदक्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है।

अभ्यर्थी उपरोक्त अधिमानी अर्हता के संबंध में यदि कोई आपत्ति व्यक्त करना चाहते हैं तो इस संबंध में साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार-249404 के कार्यालय को दिनांक 18 दिसम्बर, 2023 के सांय 06:00 बजे (सोमवार) तक व्यक्तिगत रूप से (कार्यालय दिवस सोमवार से शुक्रवार) अथवा डाक/अन्य किसी माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

-Sd/
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।